न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगारिया बनाम बाबू डा॰ चन्द प्रजापत चमनपुरा

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :- 33/2017

निर्णय दिनाँक :- 26/X/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चमनपुरा की आ॰ख॰न॰ 161 कुल रकबा 1-57 किस्म जमीन गै॰मु॰ में से 0-01 रकबे पर श्री बाबूडा॰चन्द प्रजापत ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ढाबा लगाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिगारिया द्वारा दिनाँक 29/9/17 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ बड़ौदाकान के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी बाबूडा॰चन्द प्रजापत॰ निवासी चमनपुरा को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उपस्थित नहीं उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ॰ख॰न॰ 161 रकबा 1-57 में से 0-01 रकबे किस्म गै॰मु॰ तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paise का 50 गुणा 3/- (Three Rs) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगारिया भू॰अ॰निरी॰ बड़ौदाकान को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 26/10

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)